न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 133/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
केसाराम पुत्र पूराराम जाति मेघवाल निवासी– सिरमण्डी, तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर।		1. रेवन्तराम पुत्र बाबूराम 2. भगाराम पुत्र बाबूराम 3. राजूराम पुत्र बाबूराम 4. जगदीशराम पुत्र बाबूराम 5. श्रीमती राधा पत्नी बाबूराम 6. गोरधनराम पुत्र बींजाराम 7. जोगाराम पुत्र पूराराम 8. धीराराम पुत्र पूराराम 9. श्रीमती तुलसी पत्नी जोगाराम 10. श्रीमती चम्पा पत्नी केसाराम जातियान– मेघवाल निवासी– सिरमण्डी, तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर। 11. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार ओसियॉ, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 06.08.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ जो राजस्व आवेदन संख्या 96/2018 अनवान रेवंतराम वगैराह बनाम गोरधराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 05 मई, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 2809 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरमण्डी में आई हुई है जिसकी नेखमबन्दी करवाना चाहते है जिसके पडौसी खातेदार खेत ख0सं0 2809/1 रकबा 03 बीघा व ख0सं0 2809/2 रकबा 22 बीघा अपीलान्टस व अन्य प्रत्यर्थीगण है, जिनसे सेढों को लेकर विवाद रहता है अतः नेखमबन्दी करने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी ने जवाब पेश किया कि अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थी की कब्जे की भूमि कम नहीं की जावे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण चलने योग्य नहीं रह जाता है। तत्पश्चात दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 6.8.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह

आदेश की सूचना समय पर प्रेषित नहीं की गई। वर्तमान में जब अपीलार्थी अपने खेत हिस्से में खडी फसल अवेर रहा था तब प्रत्यर्थीगण मौके पर आये तथा पत्थरगढी की धमकी देकर मौके से बेदखल करने को कहा जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 23.10.20 ओसियॉ जाकर अपने अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त की तब उसे अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने की जानकारी हुई तब प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है अतः उक्त अपील पेश करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है अतः म्याद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य भूमि का बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा न ही नक्शें में तरमीम हो रखी है। मात्र जमाबन्दी में खसरा नम्बर अलग–अलग दर्ज है। इसलिये विधि अनुसार बंटवाडा करवाये बिना पत्थरगढी किया जाना विधि अनुसार सही नहीं है। इसलिये इस आधार पर भी आलौच्य आदेश अपास्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भूमि की बिना तरमीम किये ही पारित किया गया है जबकि बिना तरमीम किये भूमि की पत्थरगढी व नेखमबन्दी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.8.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 से 05 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 2809 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरमण्डी में आई हुई है जिसकी नेखमबन्दी करवाना चाहते है जिसके पडौसी खातेदार खेत ख0सं0 2809/1 रकबा 03 बीघा व ख0सं0 2809/2 रकबा 22 बीघा अपीलान्टस व अन्य प्रत्यर्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हक–अधिकार व कब्जाशुदा भूमि पर काश्त करते आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा पुरानी माठ को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया जिस पर उनकी ओर से तहसीलदार ओसियॉ के समक्ष भूमि की पैमाइश बाबत आवेदन किया तब पटवारी हल्का सिरमण्डी द्वारा दिनांक 20.7.2016 को मौके पर पहुंच कर मीमो ट्रेस की सहायता से सीमांकन कार्य किया परन्तु प्रार्थीगण की भूमि रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा राजस्व रेकर्ड दर्ज है, उसका सीमांकन नहीं किया तथा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर प्रार्थीगण के रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा पर झूठा कब्जा बताकर मौका फर्द तैयार कर दी, जबकि प्रार्थीगण का पूरे रकबा 43 बीघा 09 भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि ख0सं. 2809 व अप्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 2809/1 व 2809/2 की नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम नहीं की गई जबकि प्रत्यकगण अपनी अलग–अलग भूमि पर काश्त करते आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा इन

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

की अलग से तरमीम की जा चुकी थी। सीमाकंन हेतु तरमीम का कोई विवाद नहीं रहा है, मौके पर कब्जा अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन किया जा सकता था। परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में अपीलान्टस/अन्य सहखातेदार बिना किसी कारण के सीमा विवाद करने लगे। तब रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके पर सीमा विवाद के निस्तारण हेतु कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने एवं उक्तानुसार पत्थरगढी/नेखमबन्दी करने हेतु आवेदन करते हुए निवेदन किया गया।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनके प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलान्टस की ओर से आपत्ति एवं जवाब भी पेश किया गया। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनकी खातेदारी के तीनों खसरान की रकबा भूमि व ख0सं0 2809 के अन्य बटटा नम्बर की रकबा भूमि का भी सीमाज्ञान कर राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की भूमि की पत्थरगढी किये जाने तथा अपीलान्टस के भूमि रकबा व कब्जा कम नहीं किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.8.2019 को पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है तथा बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि खंसरा नम्बर 2809 रकबा 43–09 बीधा खंसरा नम्बर 2809/1 रकबा 3 बीधा व 2809/2 रकबा 22 बीधा ग्राम सिरमण्डी मे स्थित है। काश्तकारान का अपनी–अपनी भूमि का कब्जा काश्त है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे उभयपक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित किया है तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा हस्तान्तरण नही करते हुए काश्तकारांन के रकबे व कब्जे मे कमी नही किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय मे हस्तक्षेप का गुजाइस प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है निर्णय आज दिनांक 05 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर